

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in

पत्रांक : जी-11/ 403/एस.एच.सी/2026

दिनांक : 02/09/2026

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुलर-10 दिनांक 01 सितम्बर, 2026 निर्गत किया गया है जो हज-2027 के चयनित हज यात्रियों के मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस के सम्बन्ध में है, जिसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चयनित हज यात्रियों को दो चरण में मेडिकल स्क्रीनिंग व फिटनेस कराना आवश्यक होगा। प्रथम चरण में हज यात्रियों के चयन उपरान्त व द्वितीय चरण में उड़ान से पूर्व कराना होगा। इसी क्रम में प्रथम चरण में चयनित हज यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सरकारी चिकित्सा केन्द्रों में जॉचोपरोन्त एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी कराना होगा। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ०प्र० को शासन स्तर से भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्रिम जमा धनराशि की रसीद व अन्य प्रपत्र हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट hajcommittee.up.gov.in पर दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक अपलोड किया जाना होगा। हज यात्रियों को सलाह दी गयी है कि प्रथम चरण का मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद प्रमाण पत्र व जॉच रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें ताकि द्वितीय चरण की जॉच के समय इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा सके।

यह भी अवगत कराया गया है कि जॉच के दौरान किसी भी तरह की बीमारी को छुपाया न जाए, जो हज यात्री जॉच में अनफिट पाये जाएंगे उनकी हज यात्रा निरस्त कर दी जाएगी व नियमानुसार उनकी धनराशि वापस की जाएगी। यदि किसी हज यात्री द्वारा जानबूझकर जानकारी छुपायी गयी व जॉच में उन्हें अनफिट पाया गया तो उनपर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी जिसमें जमा धनराशि भी ज़ब्त की जा सकती है।

Digitally signed by

MOHD TARIQ

Date: 02-09-2026

(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
10. समस्त ई-सुविधा केन्द्र/प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ०प्र०।
11. जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(मोहम्मद तारिक)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी